28.6.19 पत्रावली पेश हुई। वादिया द्वारा प्रार्थना आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर शिंगार सेतलवाड जी गई। वादिया द्वारा प्रार्थनापत्र में अंकित किया की मुस प्रार्थीला द्वारा एक वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 183 RTMLT का प्रस्तुत किया। जिसमें सुनवायी तारीख 30.7.19 नियत है। उक्त प्रकरण में कोई कानूनी कार्यवाही नही चाहती हूँ। एवं मेरे अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को विड्रो करने की अनुमति प्रदान करा जावें। प्रार्थना-पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा0दी0 को स्वीकार कर किया जावें। तथा वादीया द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहने से वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 183 RTMLT विड्रो किया जाता है। साथ ही वादीया के अधिकार सुरक्षित रखा जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

नंद